

अनुदान संख्या 98 - दमन और दीव  
GRANT No. 98-DAMAN AND DIU

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	247,50,00		
पूरक	Supplementary	8,11,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			
		255,61,00	247,35,73	-8,25,27
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	29,80,00		
पूरक	Supplementary	7,66,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			
		37,46,00	37,33,08	-12,92
				7,77,00
				3,29

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (825.27 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 811.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.825.27 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.811.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
<b>झ-प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग</b>	<b>I-Department of Elementary Education and Literacy</b>			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	786.00		
पू.	S.	801.00	800.19	799.79
पु.	R.	-786.81		-0.40

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष ध - शहरी विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Head S- Ministry of Urban Development Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	273.00			
पू.	S.	10.00	390.58	383.62	-6.96
पु.	R.	107.58			
(I) 28.05 लाख रु. का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।			(I) Provision of Rs.28.05 lakhs remained wholly utilised under fifteen heads.		
(II) मुख्य शीर्ष "2202" - "प्रारंभिक शिक्षा - जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता - पंचायतें" के अंतर्गत 46.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 801.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 847.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो मांगी गई राशि के प्रयोजन में परिवर्तन होने और पूंजीगत भाग में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान बाद में अभ्यर्पित किए जाने के कारण 767.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।			(II) Under Major Head "2202" - "Elementary Education - Assistance to Zilla Parishads/District Level Panchayats - Panchayats" - the original provision of Rs.46.00 lakhs was augmented to Rs.847.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.801.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.767.00 lakhs - due to change in purpose for which the amount was sought and subsequent surrender to obtain supplementary grant in capital section.		
(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 188.10 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत और 45 प्रतिशत थीं।			(III) Under two heads savings of Rs.188.10 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 43 percent and 45 percent of the sanctioned provision.		
2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता - दमन और दीव नगर परिषद" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 103.51 लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 252.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछली जमा देयताओं की अदायगी को पूरा किए जाने, अत्यधिक मरम्मत कार्य किए जाने और दमन जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने और शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने के कारण हुआ।			2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2217" - "Other Urban Development Schemes - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Daman and Diu Municipal Councils" - excess of Rs.103.51 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.252.00 lakhs including supplementary grant of Rs.10.00 lakhs) was due to meet payment of spill over liabilities, extensive repairs and providing basic amenities to the flood affected people of Daman District and additional assistance required for strengthening of Urban infrastructure.		

(II) तीन शीर्षों के अंतर्गत 197.71 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 4681 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नानुसार हुई/हुआ:-

(I) 18.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत 145.00 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत और 38 प्रतिशत थीं।

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 89.00 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 223 प्रतिशत थीं।

(II) Under three heads excess of Rs.197.71 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 11 percent to 4681 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred as under:-

(I) Provision of Rs.18.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under two heads savings of Rs.145.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 26 percent and 38 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by an excess of Rs.89.00 lakhs under one head constituting 223 percent of the sanctioned provision.